(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/52

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र घांसीलाल माली निवासी गुलाबपुरा सीसवाली थाना सीसवाली जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– अनुपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 19.07.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल ओमप्रकाश पुत्र घांसीलाल माली निवासी गुलाबपुरा सीसवाली जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सीसवाली जिला बाराँ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसके विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 2013 से 2021 तक की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट(03) एवं धारा 8/21 एनडीपीएस(03) के तहत दर्ज हुये है जिनमें कुल 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट(02) के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है और 04 प्रकरण पेण्डिंग कोर्ट है। इसके विरूद्व 41/110 सीआरपीसी के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसे जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:25 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल का कुल 02 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डे की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 21.03.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। गैरसायल को जरिये सम्मन क्रमांक 844 दिनांक 26.05.2022 से तलब किया जाकर दिनांक 20.06.2022 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु गैरसायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। इसके पश्चात् पुनः जरिये पत्र क्रमांक 997 दिनांक 22.06.2022 से सूचित किया गया कि आगामी नियत पेशी दिनांक 19.07.2022 को आप आवश्यक रूप से उपस्थित हो। आपके अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में एकपक्ष सरकार को हीं सुना जाकर अंतिम निर्णय पारित कर दिया जावेगा। इसके बावजूद भी गैरसायल के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में एकपक्षीय सरकार की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली जिला बाराँ में वर्ष 2013 से 2021 तक की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट(03) एवं धारा 8/21 एनडीपीएस(03) के तहत दर्ज हुये है जिनमें कुल 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट(02) के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है और 04 प्रकरण पेण्डिंग कोर्ट है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 2013 से 2021 तक की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट(03) एवं धारा 8/21 एनडीपीएस(03) के तहत दर्ज हुये है जिनमें कुल 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट(02) के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है और 04 प्रकरण पेण्डिंग कोर्ट है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि ओमप्रकाश पुत्र घांसीलाल माली निवासी गुलाबपुरा सीसवाली जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल श्री कुल 02 के प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 17:39:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः गैरसायल ओमप्रकाश पुत्र घांसीलाल माली निवासी गुलाबपुरा सीसवाली जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, सीसवाली जिला बाराँ से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल ओमप्रकाश पुत्र घांसीलाल माली निवासी गुलाबपुरा सीसवाली जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना सीसवाली क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 04.08.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली, जिला बारॉ को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **19.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:25 IST
Reason: SelfAttested